न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या 1933/2025
वादी————————गौरव अग्रवाल

दिनांक 06.07.2026

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। वादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित।

2. वादी मुकदमा की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी उपरोक्त वाद में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर मामले का निस्तारण कर दिया जाये। वादी मुकदमा द्वारा अपने आधार कार्ड की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया गया है।

3. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना डालनवाला में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों तैयार कर धोखाधडी से धनराशि प्राप्त करने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

4. पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में वादी द्वारा नामजद अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित हस्ताक्षर किये जाने सम्बन्धित कोई मूल दस्तावेज उपलब्ध नही कराये जाने व वादी मुकदमा द्वारा शपथपत्र बाबत नामजद अभियुक्तगण से आपसी समझौता होने व उक्त मुकदमे में कार्यवाही ना चाहने विषयक प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा उपरोक्त मुकदमा में कोई कार्यवाही ना चाहने हेतु समझौतानामा दिया गया है। इस सम्बन्ध में समझौतानामा पत्रावली पर दाखिल है। दौराने अन्वेषण पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, जिससे स्पष्ट है कि इस आपराधिक प्रकरण में कोई कार्यवाही किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं रह गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद संख्या–1933/2026 निस्तारित किया जाता है।

5. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार संचयित हो।

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।